न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः— अक्षत कुमार सिंह, आई.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
202 / 2018 प्रा0 पत्र	24.07.2018	08.09.2025

उनवान

1. श्री शंकरलाल पिता रेखा उर्फ देवा गुर्जर, निवासी लापलिया खेडा तहसील व जिला भीलवाड़ा।
2. सुखदेव पिता नारायण गुर्जर, निवासी लापलिया खेडा तहसील व जिला भीलवाड़ा।
3. काना पिता नारायण गुर्जर, निवासी लापलिया खेडा तहसील व जिला भीलवाड़ा।
4. बाली पुत्री नारायण गुर्जर, निवासी लापलिया खेडा तहसील व जिला भीलवाड़ा।

—— प्रार्थी

बनाम

1. सुरेश पिता नारायण कुमावत,निवासी लापलिया खेडा तहसील व जिला भीलवाड़ा।
2. चांदी पुत्री नारायण कुमावत, निवासी लापलिया खेडा तहसील व जिला भीलवाड़ा।
3. काली पत्नी नारायण कुमावत, निवासी लापलिया खेडा तहसील व जिला भीलवाड़ा **—— मृतक डिलिट**
4. प्यारचन्द पिता नारायण कुमावत, नि0 लापलिया खेडा तहसील व जिला भीलवाड़ा।
5. सत्यनारायण पिता नारायण कुमावत, नि. लापलिया खेडा तहसील व जिला भीलवाड़ा।

—— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :—

1—अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री भैरूलाल बापना व श्री विपुल बापना उपस्थित।

2—वि0 सं0 01 से लगा0 05 अधिवक्ता श्री अम्बालाल कुमावत उपस्थित

—:: निर्णय ::—

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विपक्षी के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम ओझागर पटवार क्षेत्र रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाडा के खाता संख्या—269 में हम प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी नं 1145 / 980 रकबा 17 बिस्वा एवं खाता सं. 271 में आराजी नं. 980 981, 982 983, 984 / 1986 / 1 किता 6 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त आराजियात का प्रार्थीगण के मध्य विभाजन हो गया है और जमाबंदी में नामान्तरकरण सं. 896 दिनांक 19—6—2015 से उसका अमल दरामद कर दिया गया है किन्तु विभाजन से उक्त आराजियात के जो बटा नंबर कायम किये गये हैं उनका अंकन राजस्व नक्शा ट्रेस में अब तक नहीं किया गया है। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात में आने—जाने का एकमात्र रास्ता ग्राम कारोई से बागोर जाने वाली पक्की आम सडक से होकर उत्तर दिशा में स्थित विपक्षीगण की आराजी नं. 965 व 966 के मध्य की मेड़ पर होते हुए आगे हम प्रार्थीगण की आराजी नं. 1145 / 980 में जाता है जिससे होकर हम हमारी अन्य आराजियात पर पहुंचते हैं। प्रार्थीगण की उपरोक्त आराजी में आने—जाने का एकमात्र रास्ता उपरोक्त रास्ता ही है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है । प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजी में सदैव से उक्त रास्ते से होकर ही अपने कृषि उपकरणों संज—बैल ट्रक ट्रेक्टर सहित आ—जा रहे हैं लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज नहीं होने से विपक्षीगण कभी भी बाधा उत्पन्न कर सकते हैं ।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर

उक्त वादग्रस्त रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यंतिक आवश्यकता है एवं उक्त वादग्रस्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण को उनकी भूमि में आने–जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है इसलिए हम खातेदार प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम ओझागर की आराजी नम्बर 965 व 966 के मध्य की मेड़ पर 20 फीट चौडाई का नया रास्ता कायम कर उसे राजस्व अभिलेख जमाबंदी व नक्शा ट्रेस में दर्ज किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने के लिए यह आवेदन धारा 251 (ए) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा (2) के तहत प्रस्तुत है।

अतः निवेदन है कि उक्त अनुसार आपके माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–ए की उपधारा (1) के अधीन ग्राम ओझागर में स्थित हम प्रार्थीगण की कृषि भूमि आराजी नं. 1145/980 रकबा 17 बिस्वा एवं आराजी नं. 980 981 982 983 984/1 986/1 किता 6 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा पर आने–जाने हेतु ग्राम कारोई से बागोर जाने वाली पक्की सड़क के उत्तर दिशा में लगी हुई विपक्षीगण की आराजी नं. 965 व 966 के मध्य की मेड़ पर 20 फीट चौड़ा नया रास्ता आराजी नं. 1145/980 तक दिलाने का आदेश प्रदान करावें एवं उक्त कायम किये गये नये रास्ते को राजस्व रेकार्ड (नक्शे) में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें तथा इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए हम सदैव तैयार हैं।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में, तहसीलदार भीलवाडा ने अपने पत्र क्रमांक 644 दिनांक 29.11.2024 से रास्तें का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें अंकित किया है कि वादीगण द्वारा ग्राम लापलिया खेडा की आराजी नम्बर 966 रकबा 0.2908 हैक्टेयर भूमि से 2 गट्ठा 16.5 फीट चौडा रास्ता चाहा गया है। आराजी नम्बर 966 प्यारचन्द, सत्यनारायण, सुरेश पुत्र नारायण कुमावत वगैरहा के नाम दर्ज रेकार्ड है। वादी ग्राम कारोई सांगवा सड़क से आराजी नम्बर 966 से होकर स्वंय की आराजियात तक पहूँच सकते है और कोई वैकल्पिक मांर्ग नहीं है प्रतिवादीगण सहमत नहीं है प्रतिवादी मौके पर उपस्थित नहीं हुये है। प्रकरण में अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट पर आपत्ति करते हुये भूमि के बदले भूमि चाहने से तहसीलदार भीलवाडा से पुनः रिपोर्ट ली गई।

प्रकरण में तहसीलदार भीलवाडा द्वारा पुनः पत्रांक 386 दिनांक 08.08.2025 से रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अनुसार ग्राम लापलिया खेडा के आराजी नम्बर 966 में से 0.0450 हैक्टेयर भूमि के बदले भूमि देने हेतु मौका मुआयना किया गया। जिसमें पाया गया कि ग्राम लापलियाखेडा के आराजी नम्बर 1145/980 एवं ग्राम औझागर के आराजी नम्बर 1150/980 में से भूमि के बदले भूमि दी जा सकती है। मौके पर उपस्थित काना पुत्र नारायण गुजर एवं शंकर पुत्र देवा गुजर ने रास्तें की भूमि के बदले भूमि देने हेतु सहमत है।

प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट स्वीकार करते हुये प्रार्थी रास्ते की भूमि के बदले भूमि हेतु सहमत है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए आर0टी0ए0 का स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव्

उपखण्ड अधिकारी एव
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

—:: आदेश ::—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर निर्णय दिया जाता है कि तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम ओझागर पटवार क्षेत्र रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाडा के खाता संख्या–269 में प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी नं 1145/980 में आने–जाने हेतु तहसीलदार भीलवाडा द्वारा पत्रांक 644 दिनांक 29.11. 2024 से प्रस्तावित नक्शें अनुसार प्रतिवादीगण की आराजी नम्बर 966 में से 0.0450 हैक्टेयर भूमि सार्वजनिक रास्ते हेतु स्वीकृत किया जाता है एवं तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट पत्रांक 386 दिनांक 08.08.2025 अनुसार रास्तें की भूमि के बदले प्रार्थी संख्या 01 श्री शंकर पुत्र रेखा उर्फ देवा गुर्जर की ग्राम लापलिया खेडा की आराजी नम्बर 1145/980 में से 0.0185 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित नक्शे अनुसार दर्ज करने एवं प्रार्थी संख्या 02 से लगायत 04 श्री काना, सुखदेव, बाली पिता नारायण गुर्जर की ग्राम औझागर की आराजी नम्बर 1150/980 में से 0.0265 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित नक्शें अनुसार विपक्षीगण के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भीलवाडा प्रस्तावित रिपोर्ट अनुसार आराजी नम्बर 966 में से 0.0450 हैक्टेयर भूमि उक्त बिलानाम गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ता राजस्व अभिलेख व हाल नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करे। इस रास्ते पर प्रार्थीगण का कोई खातेदारी अधिकार नही रहेगा केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेंगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावे। मौका पर्चा राजस्व नक्शा व नजरी नक्शा आदेश का पार्ट रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी हो। नक्शा ट्रेस निर्णय का पार्ट रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 08.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(अक्षत कुमार सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर
भीलवाडा